

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalvan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री रवेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-गणित, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लाखामण्डल, देहरादून को जनहित पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गदरपुर ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पुंछाकन संख्या C-1798 /ज0जा0क0/तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janatikalyan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री सन्तोष कुमार, कम्पाउडर, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय त्यूणी, देहरादून को जनहित पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पृष्ठांक संख्या C-1799 /ज0जा0क0/तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janjati.kalyan@gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती शहनाज बानो, सहायक अध्यापिका विषय-सिलाई, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय त्यूणी, देहरादून को जनहित पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय खटीमा ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पृष्ठाकन संख्या C-1800 /ज0जा0क0/तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janatikalyan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री हरेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-गणित, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गदरपुर, ऊधमसिंह नगर को जनहित पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लांगापोखरी देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-1801 /ज0जा0क0/तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalvan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री उमेश चन्द्र जोशी, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-गणित, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गोठी छारछुम पिथौरागढ़ को जनहित पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय खटीमा ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पृष्ठांक संख्या C-1002 /ज0जा0क0/तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalvan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री प्रदीप चन्द्र जोशी, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-हिन्दी, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय ज्योर्तिमठ, चमोली को जनहित पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गदरपुर ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनीयता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पृष्ठांक संख्या C-1803 /ज0जा0क0/तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalvan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती ममता, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-अंग्रेजी, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गोठी छारछुम पिथौरागढ़ को अनुरोध के आधार पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गूलरभोज ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

प्रुंठाकन संख्या C-1004 / ज0जा0क0 / तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2026-27

दिनांक 30/06/2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती तनुजा उपाध्याय, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-कला, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय त्यूणी, देहरादून को जनहित पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गदरपुर ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक के माह जुलाई 2026 का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती संस्था/विद्यालय से आहरित होगा। स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पृष्ठांक संख्या C-1805 /ज0जा0क0/तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी।
2. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अध्यापक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक